

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं प्राधिकृत अधिकारी, बिलासपुर छ0ग0

“प्रारूप-पॉच”

कालोनी विकास की अनुमति

राजस्व प्रकरण क्रमांक-44/ब-121/2019-20

अनुमति क्रमांक- 03/2020,

दिनांक : 09.07.2020

छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 के अधीन निम्न लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए- आवेदक सुपरटेक प्रोजेक्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.द्वारा डायरेक्टर आशीष जायसवाल पिता एच.सी.जायसवाल, निवासी नेहरू नगर बिलासपुर, तहसील व जिला-बिलासपुर ने मौजा मोहतराई, प.ह.नं. 21, तहसील व जिला-बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 510, रकबा 0.121 हे0/0.30 एकड़, ख0नं0 512 रकबा 0.170 हे0/0.42 ए., ख0नं0 513 रकबा 0.069 हे0/0.17 ए., ख0नं0 514 रकबा 0.069 हे0/0.17 ए., ख0नं0 515 रकबा 0.045 हे0/0.11 ए., ख0नं0 602/1 रकबा 0.275 हे0 में से 0.027 हे0/0.07 ए., ख0नं0 602/2 रकबा 0.255 हे0/0.63 ए., ख0नं0 603/1 रकबा 0.441 हे0/1.09 ए., ख0नं0 604/2 रकबा 0.186 हे0/0.46 ए., ख0नं0 518 रकबा 0.227 हे0/0.56 ए., ख0नं0 519/1 रकबा 0.239 हे0/0.59 ए., ख0नं0 519/2 रकबा 0.243 हे0/0.60 ए., ख0नं0 600/2 रकबा 0.283 हे0/0.70 ए., ख0नं0 520/1 रकबा 0.109 हे0/0.27 ए., ख0नं0 520/2 रकबा 0.110 हे0/0.27 ए., ख0नं0 524/2 रकबा 0.140 हे0/0.35 ए., ख0नं0 524/1 रकबा 0.139 हे0/0.34 ए., ख0नं0 603/4 रकबा 0.202 हे0/0.50 ए., ख0नं0 604/1 रकबा 0.279 हे0/0.69 ए., ख0नं0 604/5 रकबा 0.101 हे0/0.25 ए., ख0नं0 605 रकबा 0.120 हे0/0.30 ए., ख0नं0 682/1 रकबा 0.138 हे0/0.34 ए., ख0नं0 682/5 रकबा 0.162 हे0/0.40 ए., ख0नं0 682/7 रकबा 0.223 हे0/0.55 ए., ख0नं0 604/3 रकबा 0.182 हे0/0.45 ए., ख0नं0 655 रकबा 0.162 हे0/0.40 ए., ख0नं0 682/8 रकबा 0.081 हे0/0.20 ए., ख0नं0 608/1, रकबा 0.279 हे0/0.69 ए., ख0नं0 682/14 रकबा 0.101 हे0/0.25 ए., ख0नं0 600/1 रकबा 0.243 हे0/0.60 ए., ख0नं0 603/2 रकबा 0.223 हे0/0.55 ए., ख0नं0 609 रकबा 0.231 हे0/0.57 ए., ख0नं0 610/1 रकबा 0.081 हे0/0.20 ए., ख0नं0 682/10 रकबा 0.061 हे0/0.15 ए., ख0नं0 682/11 रकबा 0.089 हे0/0.22 ए., ख0नं0 682/12 रकबा 0.129 हे0/0.32 ए., ख0नं0 682/13 रकबा 0.182 हे0/0.45 ए., ख0नं0 682/15 रकबा 0.061 हे0/0.15 ए., ख0नं0 682/2 रकबा 0.186 हे0/0.46 ए., ख0नं0 682/9 रकबा 0.089 हे0/0.22 ए., ख0नं0 595 रकबा 0.380 हे0/0.94 ए., ख0नं0 606 रकबा 0.121 हे0/0.30 ए., ख0नं0 607 रकबा 0.124 हे0/0.31 ए., ख0नं0 608/2 रकबा 0.089 हे0/0.22 ए., ख0नं0 610/2 रकबा 0.162 हे0/0.40 ए., ख0नं0 612 रकबा 0.061 हे0/0.15 ए., ख0नं0 614 रकबा 0.049 हे0/0.12 ए., ख0नं0 615 रकबा 0.061 हे0/0.15 ए., ख0नं0 616 रकबा 0.057 हे0/0.14 ए., ख0नं0 617 रकबा 0.142 हे0/0.35 ए., ख0नं0 633 रकबा 0.182 हे0/0.45 ए., ख0नं0 681/1 रकबा 0.121 हे0/0.30 ए., ख0नं0 682/6 रकबा 0.121 हे0/0.30 ए., ख0नं0 683/1 रकबा 0.162 हे0/0.40 ए., ख0नं0 603/3 रकबा 0.324 हे0/0.80 ए., ख0नं0 601 रकबा 0.028 हे0/0.07 ए., ख0नं0 517 रकबा 0.182 हे0/0.45 ए., कुल खसरा 57 में से कुल रकबा 8.841 हे0/21.84 एकड़ 951350 वर्गफीट का आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रकरण में संलग्न मानचित्र अनुसार लाल स्याही से चिन्हांकित भू-खण्ड क्रमांक 9, 10, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 259, 260, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 कुल 47 भू-खण्ड रकबा 5746.55 वर्गमीटर एवं एल.आई.जी. भू-खंड



(02)

क्रमांक 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, कुल 12 भू-खण्ड कुल रकबा 668.50 वर्गमीटर कुल भू-खण्ड 59 कुल रकबा 6415.05 वर्गमीटर/69051.02 वर्गफीट को बंधक रखते हुए कालोनी विकास की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

1. नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।
2. छ.ग.भू-राजस्व संहिता में कथित भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।
3. छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त विकास अनुज्ञा का पालन करना होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भू-खण्डों/भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।
5. सम्पूर्ण स्वीकृत कालोनी का विकास निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा।
6. मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्र के मार्ग का समुचित विकास स्वीकृत अभिन्यास के तारतम्य में ही करना होगा।
7. कालोनी विकास पूर्ण करने के पश्चात् समस्त जानकारी सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदक निर्धारित मानक अनुसार बाह्य विकास कार्य स्वतः करेगा।
9. कालोनी में सड़क के दोनों ओर प्रत्येक 25 फीट में फलदार/छायादार वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा। कालोनी विकास में पर्यावरण के साथ छेड़-छाड़ न किया जावे।
10. कालोनी से निकलने वाले वेस्ट से किसी आम जनता को कोई तकलीफ न हो, इसकी आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।
11. शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।
12. भूमि स्वामी को भूमि विकास की अनुमति के पश्चात् ही विक्रय करने का अधिकार होगा।
13. बंधक रखे गये भू-खण्डों की जानकारी का उल्लेख करना है।
14. आवेदक को रेरा कानून का नियमतः पालन करना होगा।
15. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

अगर लिखे किसी भी शर्तों का उल्लंघन होने पर यह विकास अनुज्ञा/अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।



पृ० क्रमांक / अ.वि.अ./रीडर-1/2020,

221

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

बिलासपुर (छ.ग.) 09.07.2020

1. जिला पंचायत, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. ग्राम पंचायत मोहतराई, तहसील बिलासपुर को सूचनार्थ एवं नक्शा में लाल स्याही में चिह्नित भू-खंड को अपने कब्जा में प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन दें।
3. पटवारी हल्का नं० 21 मोहतराई, तहसील व जिला-बिलासपुर को सूचनार्थ। बंधक रखे गये भूमि को इस कार्यालय के अनुमति के बिना विक्रय हेतु 22 बिन्दु में जानकारी प्रदाय न करें न ही नामांतरण की कार्यवाही करें।
4. आवेदक सुपरटेक प्रोजेक्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.द्वारा डायरेक्टर आशीष जायसवाल पिता ए.य.सी. जायसवाल, निवासी नेहरू नगर बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

बिलासपुर (छ.ग.)